झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषयः—राज्य के नगर निकायों के अधीनस्थ क्षेत्र में अवस्थित झील/तालाबों के चारों ओर पक्की बाउन्ड्री के निर्माण के स्थान पर Green Boundary के निर्माण करने के संबंध में।

झारखण्ड राज्य मूलतः पठारी क्षेत्र है जहाँ बड़ी बारहमासी (Perennial) नदियाँ नहीं बहती है। पूर्व काल से ही राज्य में तालाब एवं झील पेयजल एवं कृषि कार्य हेतु जल के प्रमुख स्रोत रहे है। प्रायः सभी नगरीय क्षेत्रों में छोटी–बड़ी झीलें एवं तालाब अवस्थित है जो नगरीय जनसंख्या की जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ भूगर्भ जल को रिचार्ज करने का कार्य करता है।

2. क्षेत्रीय स्तर पर शहरी स्थानीय निकाय एवं मुख्यालय स्तर पर जुडको लिमिटेड के माध्यम से झील/तालाबों का जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण के क्रम में नगरीय सुविधाओं एवं पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने की कार्रवाई की जाती है।

इस क्रम में झील/तालाबों के चारों ओर पक्की दीवार (Boundary) का निर्माण किया जा रहा है जो तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण है। पक्की दीवार के निर्माण के कारण झील/तालाब में आस–पास के क्षेत्र (Catchment Area) से जल भराव पूर्ण रूप से बाधित हो जाता है तथा झील–तालाब असमय सूख जाते हैं। फलस्वरूप, क्षेत्र विशेष का भूगर्भीय जलस्तर भी नीचे चला जाता है। नगरीय जनसंख्या में उत्तरोतर वृद्धि एवं जल की बढ़ती मांग के कारण तथा भू–गर्भीय जलस्तर के नीचे जाने से नगरीय क्षेत्रों में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो रहा है।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित झील/तालाबों में जल भंडारण सुनिश्चित करने हेतु सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न राज्य/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अधीन झील/तालाबों के जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण की योजनाओं के अन्तर्गत जलाशय (Water Body) के चारों ओर पक्की दीवार निर्माण कार्य के स्थान पर Green Hedge का बाउन्ड्री बनाया जाय। यदि Green Hedge बाउन्ड्री के Protection हेतु Fencing की आवश्यकता हो तब Iron का Fencing किया जाय।

4. झील/तालाब क्षेत्र को अतिक्रमणकारियों एवं अन्य कारकों से सुरक्षित रखने के लिए जलाशय के चारों ओर Green Hedge के बाउन्ड्री के साथ–साथ घने वृक्षों का रोपण किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार Iron Fencing का निर्माण किया जायेगा ताकि आस–पास के क्षेत्र (Catchment Area) से जल भराव सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक उपाय किये जांय।

5. प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5/न0वि0/विविध–46/2018....3437.... राँची, दिनांक–....04/07/18

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई–गजटीय, नगर विकास एवं आवास विभाग को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5/न0वि0/विविध–46/2018....3437.... राँची, दिनांक–....04/07/18

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त, झारखण्ड/सभी विभागीय पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, सभी नगर निकाय, झारखण्ड/परियोजना निदेशक (प्रशासन, तकनीकी), जुडको लिमिटेड/श्री कुणाल, CMM को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव।